16

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 690–तीन/2009 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–11–2008 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्र0क0 161/2007–08 अपील

1– अशोक कुमार पुत्र मुरलीधर शर्मा
2– श्रीमती सावित्री देवी पत्नि मुरलीधर शर्मा
दोनों ग्राम तलावदा तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरचरणलाल पुत्र भगवानदास वैरागी
2– नरेन्द्रकुमार पुत्र हरचरणलाल बैरागी
3– राजेन्द्र पुत्र हरचरण लाल बैरागी
ग्राम गुदाया माफील तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श
(आज दिनांक 1 – 8 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 161/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–11–2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला शॉंति पुत्री नवलकिशोर ग्राम तलावदा की भूमि सर्वे कमांक 227 रकबा 1–359 हैक्टर की भूमिस्वामिनी थी,

जिसकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 8 पर हलका पटवारी ने दिनांक 10-8-05 को फोती नामांत्रण की प्रविष्टि की, किन्तु आपत्ति आने पर प्रस्ताव तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर तहसील श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 19 अ-6/ 2005-06 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 5-8-2006 पारित करके मृतक के स्थान पर मृतक के वारिसान का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 122/05-06 में पारित आदेश दिनांक 23-8-2007 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 161/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-11-2008 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम तलावदा की भूमि सर्वे क्रमांक 227 रकबा 1-359 हैक्टर की महिला शॉति पुत्री नवलकिशोर भूमिस्वामिनी थी । नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर तहसील श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 19 अ-6/ 2005-06 में पृष्ठ 9 पर नामान्तरण के आपत्तिकर्ता वृजमोहन पुत्र नवलकिशोर तथा श्रीमती सावित्री देवी पत्नि मुरलीधर द्वारा की गई आपत्ति संलग्न है जिसमें इस प्रकार अंकन है :-

" उक्त भूमि दोनों भाईयों ने बहिन के नाम आजीविका चलाने हेतु सोंप रखी थी। वर्तमान में मृतक की भूमि मृतक के सगे भाईयों के नाम करने की कृपा करें। "

जब विवादित भूमि शासकीय अभिलेख में महिला शॉति पुत्री नवलकिशोर के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है तब उसके विधिक वारिसान को छोड़कर

भूमि सगे भाईयों के नाम किस आधार पर नामांत्रित होगी ? आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं यदि वाद विचारित भूमि पर आवेदकगण स्वयं की होना मानकर स्वत्व चाहते हैं - स्वत्व के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नही है जिसके कारण नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर तहसील श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 19 अ-6/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2006 में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने एंव अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने हस्तक्षेप नहीं किया हैं। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 161/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-11-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर